-: परिचय :-

पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत पकड़ीदयाल अनुमंडल मुख्यालय पकड़ीदयाल में अवस्थित के० एम० ई० एच० चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल डा० लाल बिहारी प्रसाद एम० डी० ई० एच० पटना द्वारा संस्थापित संचालित एवं संपोषित है । इसी जिला अंतर्गत चिरैया प्रखण्ड के भगवानपुर ग्राम एक मध्यम वर्गीय कुशवाहा परिवार में जून 1964 में जन्मे एवं पले डा० प्रसाद अपने परिवार का इलाज अन्य पैथो से करा कर भी असंतुष्ट रहे, तब अंत में इस पैथ से खुद डाक्टर बन कर अपने परिवार का इलाज करने का इरादा किया और विषम परिस्थितियों को झेलते हुए कठिन परिश्रम एवं अटुट लगन से एम०बी०ई०एच० तथा एम०डी०ई०एच० की डिग्री प्राप्त किये।

चिकित्सा क्षेत्र में 18 वर्षो का अमूल्य अनुभव के धनी डा० प्रसाद ने आर्थिक रूप से पिछड़े एवं आवागमन की असुविधा से ग्रसित इस क्षेत्र में मार्च 1999 में इस महाविद्यालय की स्थापना कर कुपोषण एवं रोग पीड़ित मानव को सेवा के साथ- साथ

इलेक्ट्रोहोमियोपैथी चिकित्सा पद्धति के विकास एवं प्रचार प्रसार के दिशा में एक सफल एवं सराहनीय प्रयास किया है । यह चिकित्सा महाविद्यालय Council of ElectroHomoeopathy System of Medicine, Patna (Bihar) द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो बिहार सरकार के Society Registration Act-XXI of 1860 (Reg. No.- 45/74-75) के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है ।

-: मुख्य उदेश्य :-

इलेक्ट्रोहोमियोपैथी चिकित्सा पद्धति जो प्राकृतिक वनस्पति के द्वारा प्रभावकारी एवं हानिरहित चिकित्सा पद्धति है तथा जिसके द्वारा सभी स्त्री-पुरूष तथा बच्चों के पुराना, असाध्य या छुआ-छूत से फैले किसी भी प्रकार के रोगों का बिना शल्य क्रिया के शत प्रतिशत सरल उपचार संभव है, को लोकप्रिय बनाना एवं इस चिकित्सा पद्धति का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर्त्तव्यनिष्ठ, चरित्रवान एवं ईमानदार चिकित्सक समाज की सेवा हेतु तैयार करना ।

K.M.E.H. Medical College & Hospital

Pakaridayal, East Champaran (Bihar)

का

-: विवरण पत्रिका :-

K.M.E.H. Medical College में नामांकन हेतु कुछ आवश्यक शर्तेः-

1. नामांकन हेतु इच्छुक छात्र एवं छात्रा चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य को संबंधित आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं हाल का (छः माह के अन्दर) खिंचाय तीन पासपोर्ट साईज फोटो के साथ निहित प्रपत्र में आवेदन करेंगे ।

2. नामांकन हेतु चयन छात्रों के लिखित या मौखिक जाँच के द्वारा किया जायेगा।

3. नामांकन के समय सभी प्रमाण पत्रों की मुख्य प्रति उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।

4. M.B.E.H., B.E.M.S पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु चयन का अंतिम निर्णय प्राचार्य का होगा ।

5. इंटरमीडियेट (Intermediate) या 10+2 बिना विज्ञान या विज्ञान के साथ परीक्षा उत्तीर्ण छात्र M.B.E.H., B.E.M.S पाठ्य क्रम में नामांकन हेतु योग्य समझे जायेंगे ।

6. चिकित्सा विज्ञान की किसी भी पद्धति से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र M.B.E.H.,B.E.M.S. पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की कक्षा में नामांकन प्राप्त कर सकता है ।

7. M.B.E.H., B.E.M.S. परीक्षा उत्तीर्ण छात्र M.D.E.H. पाठ्यक्रम के एक वर्षीय सत्र में नामांकन प्राप्त कर सकता है ।

8. अपनी सुविधानुसार प्रत्येक सत्र के शुल्क में परिवर्तन या निर्धारण का अधिकार प्रबंधन समिति के पास सुरक्षित होगा । नामांकनः मासिक शुल्क या परीक्षा शुल्क से संबंधित महाविद्यालय में जमा राशि वापस नहीं की जायेगी।

9. महाविद्यालय के विकास के मद में प्राप्त किसी भी प्रकार के दान या सहयोग राशि हेतु प्राप्त रसीद निर्गत नही किया जायेगा ।

10. महाविद्यालय के अध्यक्ष (President) एवं जन्मदाता प्राचार्य (Founder Principal) द्वारा किसी भी नियम में संशोधन किया जा सकता है।

11. महाविद्यालय के प्राध्यापक/कर्मचारी की नियुक्ति या बरखास्त करने का अधिकार महाविद्यालय के जन्मदाता प्राचार्य (Founder Principal) के पास सुरक्षित होगा। किसी भी प्राध्यापक/कर्मचारी को एक माह पूर्व सूचना देकर या एक माह का अग्रिम वेतन का भुगतान कर बिना कोई कारण बताये जन्मदाता प्रर्चाय द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है।

12. नामांकन हेतु आवेदन पत्र सभी प्रमाण-पत्रो की छाया प्रति तथा तीन पासपोर्ट साईज फोटो के साथ निबंधित डाक या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवेदन जमा करने हेतु निर्धारित तिथि तक महाविद्यायल के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को जमा किया जा सकता है । निर्धारित तिथि के बाद अथवा त्रुटिपूर्ण एवं अधूरे भरे आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

13. Council of ElectroHomoeopath System of Medicine से संबंध या किसी प्रमाणिक महाविद्यालय से स्थानान्तरित छात्र का नामांकन उसी पाठ्यक्रम में होगा, जिससे वह पूर्व के महाविद्यालय से स्थानान्तरित होगा।

14. नामांकन से पूर्व किसी भी तरह के आर्थिक मदद के आवेदन पर विचार नही किया जायेगा ।

15. मासिक शिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क को छोड़ सभी प्रकार के शुल्क प्रत्येक सत्र के आरंभ में ही जमा करना अनिवार्य होगा ।

16. सत्र के मध्य में नामांकन लेने वाले छात्र को भी पूरे सत्र हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा ।

17. किसी अन्य इलेक्ट्रोहोमियोपैथी चिकित्सा महाविद्यालय से स्थानान्तरित छात्र को इस महाविद्यालय में नामांकन माह से देय शुल्क का ही भुगतान करना होगा ।

18. नामांकन हेतु निर्धारित तिथि के बाद नामांकन रद्द कर नामांकन शुल्क या कोई अन्य शुल्क जो महाविद्यालय में जमा किया गया है वापस नही किया जायेगा ।

–: छात्रों हेतु निर्देश :–

1. शिक्षण शुल्क या छात्रावास शुल्क प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से महाविद्यालय में जमा करना होगा । उक्त तारीख को किसी प्रकार का अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को शुल्क जमा किया जायेगा । लम्बी छुट्टी या महीना भर की छुट्टी की स्थिति में शुल्क महाविद्यालय बंद होने से एक दिन पूर्व जमा करना होगा ।

2. नियत समय पर शुल्क नहीं जमा करने पर विलम्ब से शुल्क जमा करने हेतु निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करने पर प्रतिदिन 50/- रूपया की दर से विलम्ब दण्ड के साथ देय शुल्क जमा किया जाए अन्यथा नाम काट दिया जाएगा एवं सभी बकाये शुल्क के साथ साथ 500/- रू० पुनः नामांकन शुल्क के साथ भुगतान करने पर पुनः नामांकन किया जा सकेगा ।

3. महाविद्यालय का पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस को वर्ग चलने की अवधि तक छात्रों की सुविधा हेतु खुला रहेगा । छात्र 500/- रू० मूल्य की पुस्तक सप्ताह में दो बार निर्गत करा सकते है या पुस्तकालय में बैठ कर पढ़ सकते है । एक सप्ताह के अन्दर पुस्तक नही लौटाने पर 200/- प्रतिदिन की दर से दण्ड का भुगतान करना होगा ।

4. पुस्तकालय की पुस्तको या पत्रिका पर कलम या पेंसिल से कुछ लिखना सर्वथा निषेध है ।

5. सभी छात्र निर्धारित पोशाक में ही महाविद्यालय तथा वर्ग में उपस्थित होंगे ।

-: पोशाक का विवरण :-

1. उजला कमीज
2. उजला फुल पैंट
3. उजला मोजा एवं काला जूता
4. काली बेल्ट एवं मैरून टाई
5. उजला लवादा एवं आला

6. छात्रों द्वारा समर्पित आवेदन एवं नामांकन क्रमांक के आधार पर ही छात्रावास में उपलब्ध जगह छात्रों को आवंटित किया जायेगा ।

7. महाविद्यालय से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत या सुझाव प्राचार्य को दिया जाये ।

8. महाविद्यालय छात्रावास, पुस्तकालय या अस्पताल के हित के प्रतिकूल कार्य अशिष्ट एवं अभद्र व्यवहार एवं आपति जनक आचरण के आरोपी छात्र के विरूद्ध प्राचार्य द्वारा अनुशासनिक एवं प्रशासनिक अथवा निष्कासन की कार्रवाई की जा सकती है ।

9. महाविद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय या अस्पताल आदि की छात्रों द्वारा किये गये किसी प्रकार की छति की भरपाई दोषी छात्र द्वारा अविलम्ब किया जायेगा अन्यथा उक्त छात्र के विरूद्ध अनुशासनिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी ।

10. महाविद्यालय, छात्रावास या अस्पताल परिसर से किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों का संचालन सर्वथा वर्जित होगा ।

11. प्राचार्य की संतुष्टि एवं अनुमति के उपरान्त पुनः नामांकन के समय निष्कासित अवधि के लिए शिक्षण शुल्क देय नही होगा ।

12. दण्ड की राशि शिक्षण शुल्क के साथ-साथ जमा करना होगा अन्यथा शिक्षण शुल्क स्वीकार नही किया जायेगा ।

13. वर्ग, अस्पताल, वार्ड या शिविर से किसी अपरिहार्य कारणों से आकस्मिक अनुपस्थिति हेतु छुट्टी चिकित्सा प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति पर ही स्वीकृत की जा सकती है, अन्यथा अनुपस्थिति हेतु छात्र के विरूद्ध अनुसाशनिक कार्रवाई की जा सकती है ।

14. महाविद्यालय, छात्रावास या पुस्तकालय का किसी प्रकार का बकाया राशि अथवा पुस्तकालय से निर्गत पुस्तक जाँच परीक्षा या वार्षिक परीक्षा के शुरू होने से एक सप्ताह पूर्व जमा करना होगा अन्यथा परीक्षा में सम्मलित नही होने दिया जायेगा ।

-: परीक्षा संबंधित निर्देश :-

1. महाविद्यालय का शिक्षण सत्र प्रत्येक वर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह से आरम्भ होगा । सत्र की समाप्ति के बाद इलेक्ट्रोहोमियोपैथ संकाय (ElectroHomoeopath Council) पटना द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वार्षिक परीक्षा का संचालन होगा ।

2. जाँच परीक्षा वार्षिक परीक्षा से कम से कम एक माह पूर्व, महाविद्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होगा ।

3. सैद्धान्तिक अथवा प्रायोगिक, मौखिक परीक्षा की बैठक की अवधि तीन घंटे की होगी ।

4. सभी प्रकार की कक्षाओं में कम से कम 75% उपस्थिति वार्षिक जाँच परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनिवार्य होगा ।

5. सभी प्रकार की कक्षाओं में उपस्थिति हेतु निर्धारित प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर किसी प्रकार की छुट नही दी जायेगी । लेकिन विशेष परिस्थिति में अधिकतम 5% की कमी की छूट प्राचार्य द्वार दी जा सकती है । 5% से अधिक की कमी की स्थिति में छात्र द्वारा समर्पित आवेदन को प्राचार्य अपने मन्तव्य के साथ कॉन्सिल को अग्रसारित करेंगे ।

6. सभी विषयों में प्राध्यापको द्वारा दिये गये व्याख्यान की संख्या एवं छात्रों की उपस्थिति की संख्या एवं प्रतिशत प्राचार्य द्वारा उल्लेखित होगा। उपस्थिति में 5% की कमी हेतु दी गयी छूट के संबंध में भी प्राचार्य द्वारा एक प्रमाण-पत्र अंकित किया जायेगा ।

7. किसी भी परीक्षा में भाग लेने के लिए छात्रों द्वारा भरे गये आवेदन को कॉन्सिल (Council) द्वारा निर्धारित तिथि तक कॉन्सिल के सचिव के पास परीक्षा शुल्क के साथ प्राचार्य के माध्यम से जमा करना होगा। समय पर आवेदन जमा नही करने पर कॉन्सिल द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन जमा करने की तिथि के अन्दर आवेदन जमा किया जा सकेगा ।

8. किसी छात्र के किसी गम्भीर अस्वस्थता के कारण परीक्षा में सम्मिलित नही हो सकने की स्थिति में छात्र द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क राशि जमा करने पर अगली परीक्षा में सम्मिलत होने की स्वीकृति प्राचार्य द्वारा उक्त छात्र के पक्ष में मन्तव्य दिये जाने पर कॉन्सिल द्वारा दी जा सकती है ।

9. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निर्गत प्रवेशपत्र के खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में कॉन्सिल के सचिव, संतुष्टि के पश्चात् प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति निर्गत करेगा, जिसके शीर्ष पर DUPLICATE अंकित होगा ।

10. सभी विषय के सैद्धान्तिक, प्रायोगिक एवं मौखिक जाँच में अलग अलग न्यूनतम 30% या कुलयोग 40% ही उत्तीर्णांक माना जायेगा।

11. सभी विषय के सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा एक विषय माना जायेगा ।

12. 40% से अधिक एवं 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र तृतीय श्रेणी में 50% से अधिक पर 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले द्वितीय श्रेणी में तथा 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण माने जायेंगे ।

13. किसी विषय में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र उस विषय में विशिष्टता के साथ उत्तीर्ण माने जायेंगे । M.B.E.H., B.E.M.S. पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में व्यावहारिक चिकित्सा संबंधी विषय में 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्र प्रतिष्ठा के साथ उत्तीर्ण

माने जायेंगे । M.D.E.H. पाठ्यक्रम में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र स्वर्ण पदक प्राप्त की श्रेणी में स्थान प्राप्त करेंगे ।

14. अगर चाहे तो Brand of Moderator निम्नांकित परिस्थिति में उत्तर पुस्तिका की जाँच दुबारा कर सकता है। (a) किसी विषय में अधिकतम 5% अंक से अनुत्तीर्ण होने पर तथा (b) किसी विषय के सैद्धान्तिक पत्र के कुल अंक का अधिकतम 10% से अनुत्तीर्ण होने पर।

15. प्राप्तांक 55% या अधिक होने पर अगर छात्र किसी एक विषय में उस विषय के कुल अंक के अधिकतम 5% से अनुत्तीर्ण होगा तो उसे उत्तीर्ण माना जायेगा एवं उतना अंक उसके कुल प्राप्तांक से घटा दिया जायेगा, जितना अंक से वह किसी विषय में अनुत्तीर्ण हुआ है ।

16. मात्र 100% प्रति विषय की दर से पुनः जाँच शुल्क के साथ प्राचार्य के माध्यम से कॉन्सिल के सचिव को आवेदन कर उत्तर पुस्तिका की पुनः जाँच करायी जा सकती है ।

–: पाठ्यक्रम के विषय :–

(A)

M.B.E.H. (Pre)/B.E.M.S. (1st. yrs)		पूर्णांक
1. Anatomy Theory	-	100
Practical	-	50
2. Physiology Theory	-	100
Practical	-	50
3. Pharmacy Theory	-	100
Practical	-	50
4. Materia Medica	-	100
5. Philosophy	-	100

(B)

M.B.E.H. (Inter)/B.E.M.S. (2nd yrs)		पूर्णांक
1. Anatomy Theory	-	100
Pratical	-	50
2. Physiology Theory	-	100
Pratical	-	50
3. Philosophy Theory	-	100
4. Pharmacy Theory	-	100
Pratical	-	50
5. Pathology Theory	-	100
Pratical	-	50
6. Materia Medica Theory	-	100
7. Practice of Medicine	-	100

(C)

M.B.E.H. (Final)/B.E.M.S. (3rd yrs)		पूर्णांक
1. Pathology Theory	-	100
Practical	-	50
2. Iridology Theory	-	100
Practical	-	50
3. Gyn and obs. Theory	-	100
Practical	-	50
4. Medical Juris and Toxi	-	100
5. Social & Preventive Med.	-	100
6. Practice of Medicine (I)	-	200
7. Practice of Medicine (II)	-	100

(D)

B.E.M.S. (4th yrs)		पूर्णांक
1. Iridology Theory	-	100
Practical	-	50
2. Surgery Theory	-	100
Practical	-	50
3. Practice of Medicine I	-	100
4. Practice of Medicine II	-	100
5. Practice of Medicine III	-	100
6. Materia Medica I	-	100
7. Materia Medica II	-	100

(E)

M.D.		पूर्णांक
1. Iridology Theory	-	100
Practical	-	50
2. Philosophy III	-	100
3. Practice of Medicine I	-	100
4. Practice of Medicine II	-	100
5. Practice of Medicine III	-	100
6. Materia Medica I	-	100
7. Materia medica II	-	100

-: आवश्यक सूचना :-

नियम 56/II अन्तर्गत योग्य एवं नियम 56/III के अन्तर्गत इलेक्ट्रोहोमियोपैथ से चिकित्सा का 5 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त व्यक्ति का निबंधन कॉन्सिल ऑल इलेक्ट्रो होमियो पैथ सिस्टम ऑल मेडिसीन पटना द्वारा किया जायेगा । कॉन्सिल के नियमानुसार निबंधित व्यक्ति इलेक्ट्रोहोमियोपैथ चिकित्सा पद्धति द्वारा चिकित्सा करने के योग्य माना जायेगा तथा बिहार सरकार के निबंधन नियम संख्या- 57/2 के आलोक में किसी भी सरकार द्वारा चिकित्सा हेतु उसे दोषी नही ठहराया जा सकता है और न सजा दी जा सकती है । वशर्ते वह व्यक्ति अच्छे चरित्र एवं अपने कर्त्तव्य के प्रति ईमानदार हो।

Dr. L.B. Prasad

8271762108
8210643400
9430257682
9304120187

kmelectrohomoeopathmedicalcoll@gmail.com